

रिपोर्ट पटवारी हत्का / आई०एल०आर० श्रीमान पी. निवेदन है कि ग्राम कुपगी में जमा कराये पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार 2016-17 के खाते 632, 633, 630 में धारणा नाम / सारली पत्नी धनाराम सारली पत्नी धनाराम वर्तिकाई ही जबाबि धारणा का नाम सारली पत्नी धनाराम धारणा के अंतर्गत ही अर्थात् धारणा का नाम सारली पत्नी धनाराम धारणा किया जाना उचित है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुदागौड़जी

16/6/23  
15/6/23

क्रमांक राजस्व / 2020 /

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर नियेदन है कि आयेदन पत्र में वर्णितानुसार आयेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आयेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है / नहीं की जाती है।

प्रशारण गावा क संग अभियान 2023

16/6/23  
तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुदागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला सुपुनू (राज.)  
- आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुदागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1958 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुदागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	कुपगी	2076-78	632 633 630	सारली पत्नी धनाराम सारली पत्नी धनाराम सारली पत्नी धनाराम	सारली पत्नी धनाराम

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

269  
19-6-23

17/6/23  
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी  
दिनांक :-

क्रमांक :- राजस्व / 2020 /  
प्रतिलिपि :-

239-43

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुदागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया .....को सूचनार्थ।

17/6/23  
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी